न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,लखीमपुर–खीरी।

मु0नं012438 / 11

सरकार बनाम उमेश चन्द्र

05–5–2022

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त उमेश चन्द्र मय अधिवक्ता उपस्थित है। अभियुक्त की ओर से जुर्म स्वीकार प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त का बयान मुल्जिम बनाया गया–

बयान अभियुक्त

नाम पिता उम्र पेशा

निवासी थाना जिला –खीरी।

प्रश्न नं–1– क्या दिनांक अदम तहरीर समय 6.00 बजे शाम स्थान बहद ग्राम रजागंज थाना कोतवाली गोला जिला खीरी में आप मेटाडोर नं0 यू0एच0टी0– 115 को लोकमार्ग पर तेजगति व लापरवाही से चलाते हुए वादी मुकदमा जमुना प्रसाद व लालता प्रसाद व जकीर अहमद के खोखे व दुकानों में टक्कर मार दी जिससे वादी जमुनाप्रसाद, लालता प्रसाद व वादी की दुकान पर खड़े रामभरोसे, बाबूराम व सोने लाल को साधारण व गम्भीर चोटे आयी व खोखों व दुकानों का नुकसान हुआ? इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?

उत्तर–

प्रश्न नं0–2 क्या आप स्वेच्छया से अपना अपराध स्वीकार कर रहे हैं?

उत्तर–

प्रश्न नं–3 क्या आपको और कुछ कहना है?

उत्तर–

सुनकर तस्दीक किया।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
लखीमपुर–खीरी।
05–5–2022

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्त उमेश चन्द्र के विरूद्ध मु0अ0सं0 91 / 93 धारा 279,337,338 भा0द0सं0 थाना कोतवाली गोला जिला खीरी के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। अभियुक्त ने स्वेच्छा से अपना जुर्म स्वीकार किया है। अतः अभियुक्त को उसकी स्वेच्छा जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 279,337,338 भा0द0सं0 के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया जाता है।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
लखीमपुर–खीरी।
05–5–2022

दण्ड के बिन्दु पर सुना गया। अभियुक्त मय अधिवक्ता उपस्थित है। अभियुक्त द्वारा कथन किया गया कि वह मुकदमा लड़ पाने में सक्षम नहीं है उसकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति को देखते हुए उसे कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाय।

अभियुक्त द्वारा स्वेच्छया जुर्म स्वीकार किया गया है । अभियुक्त द्वारा स्वयं जुर्म स्वीकार किया गया है अतः अभियुक्त की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए निम्न दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अभियुक्त उमेश चन्द्र द्वारा उसकी स्वेच्छया जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर दोषसिद्ध अभियुक्त को धारा 279 भा0द0सं0 में मु0 500 / –रू0 का अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को सात दिन का कारावास भुगतना

होगा व धारा 337 भा0द0सं0 में मु0 500/—रू0 का अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर सात दिन का कारावास भुगताना होगा एवं धारा 338 भा0 द0सं0 में मु0 1000/—रू0 का अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर दस दिन का कारावास भुगताना होगा। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं है अतः पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफतर की जाय।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
खीरी।
05—5—2022